रिक्ति अधिसूचना संदर्भ सं. सीएसएल/पीएण्डए/ भर्ती/ अनुबंध/चिकित्सा अधिकारी/2026/5
दिनांक 02 मार्च 2026

अनुबंध के आधार पर चिकित्सा अधिकारी का प्रवेश चयन

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनिरत्न अनुसूची 'ए' कंपनी, **अनुबंध के आधार पर चिकित्सा अधिकारी** के पद को भरने केलिए भारतीय नागरिकों से **प्रवेश चयन** के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करती है ।

I. पद का नाम, शैक्षिक योग्यता, अनुभव और कर्तव्य:

तालिका 1

पद का नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव और कर्तव्य
अनुबंध के आधार पर चिकित्सा अधिकारी	**अनिवार्य:** क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस डिग्री/ समतुल्य। ख) भारतीय चिकित्सा परिषद्/ राज्य चिकित्सा परिषद के साथ स्थायी पंजीकरण। ग) मलयालम भाषा का ज्ञान।	**अनुभव** **अनिवार्य:** इंटर्नशिप के बाद कम से कम 2 वर्ष का नैदानिक अनुभव निम्नलिखित में होना चाहिए: • सरकारी अस्पताल • सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम • सशस्त्र बल • ईएसआई अस्पताल • निजी अस्पताल **वांछनीय:** क) औद्योगिक/कारखाना/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के चिकित्सा संस्थान में अनुभव। ख) आपातकालीन/व्यावसायिक स्वास्थ्य में अनुभव, औद्योगिक स्वास्थ्य में एसोसिएट फेलो/औद्योगिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा/महिला स्वास्थ्य में अनुभव। ग) चिकित्सा लेखापरीक्षा - टीपीए/चिकित्सा दावों के सत्यापन का अनुभव। **कर्तव्य:** क) सभी पात्र कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए बाह्य रोगी परामर्श और उपचार। ख) दिन के किसी भी समय चिकित्सा आपात स्थिति में सहायता प्रदान करना।

पद का नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव और कर्तव्य
		ग) दुर्घटनाओं की स्थिति में प्राथमिक उपचार प्रदान करना। घ) अस्पतालों में भर्ती या संदर्भित कर्मचारियों/आश्रितों की निगरानी करना। ङ) रोजगार पूर्व, आवधिक और वैधानिक चिकित्सा जांच कराना। च) चिकित्सा एवं फिटनेस प्रमाणपत्रों का सत्यापन और जारी करना। छ) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अभिलेखों का रखरखाव। ज) एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) का अनुपालन। झ) पोत मरम्मत कार्यों के लिए आपातकालीन चिकित्सा कवरेज। ञ) उच्च जोखिम वाले औद्योगिक क्षेत्रों में व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी। ट) कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं। ठ) कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम। ड) सीएसएल चिकित्सा योजना के अंतर्गत अस्पताल बिलों का सत्यापन। ढ) चिकित्सा लेखापरीक्षा और दावों की पात्रता की पुष्टि। ण) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य कोई भी चिकित्सा कार्य।

II. <u>महत्वपूर्ण तिथि,समय व स्थान:</u>

प्रवेश के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की तिथि	**: 10 मार्च 2026**
समय	**: 0830 बजे से 1400 बजे तक**
आवेदन प्राप्ति का स्थान	**: सक्षमता विकास केंद्र (सीडीसी) पेरुमानूर गेट के पास (तेवरा) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्ची – 682 015**

III. <u>रिक्तियों की संख्या और आरक्षण:</u>

<u>तालिका 2</u>

पद का नाम	अनारक्षित	अ.जा.
अनुबंध के आधार पर चिकित्सा अधिकारी	2	1

क) अपनी आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढाने/घटाने या रिक्ति को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है ।

IV. अनुबंध की अवधि:

क) उपरोक्त पद का **अनुबंध पांच वर्ष की अवधि** के लिए है, जो संगठनात्मक आवश्यकता, व्यक्तिगत प्रदर्शन और आचरण पर निर्भर करता है।

V. पारिश्रमिक:

क) अनुबंध के पहले वर्ष के दौरान मासिक समेकित वेतन ₹75000/- प्रति माह है, और बाद के वर्षों में वार्षिक वृद्धि लागू होगी।

ख) पद से संबंधित अधिक अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के लिए उच्च समेकित वेतन पर विचार किया जा सकता है।

VI. आयु:

क) पद केलिए निर्धारित उच्चतम आयु सीमा **दिनांक 10 मार्च 2026 तक 64 वर्ष से अधिक नहीं** होनी चाहिए, यानी आवदेकों का जन्म **दिनांक 11 मार्च 1962** को या उसके बाद होना चाहिए ।

VII. चयन की रीति और आवेदन प्राप्त करने का तरीका:

क) चयन प्रक्रिया **वैयक्तिक साक्षात्कार (100 अंकों में)** के माध्यम से होगी।

ख) निर्धारित योग्यताओं को पूरा करने वाले आवेदक दिनांक 10 मार्च 2026 को **पूर्वाह्न 0830 बजे से अपराह्न 1400 बजे तक योग्यता विकास केंद्र (सीडीसी),पेरुमानूर गेट (तेवरा) के पास, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्ची – 682 015** में अपने **मूल प्रमाण पत्रों** के साथ **प्रवेश चयन** प्रक्रिया में शामिल हों और निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन पत्र और प्रमाणपत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियां जमा करें। आवेदन पत्र का अनुलग्नक – I इस विज्ञापन के साथ हमारी सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.in (करियर पेज →सीएसएल, कोच्ची) पर उपलब्ध है।

ग) आवेदन पत्रों का सत्यापन उनके मूल प्रमाणपत्रों के साथ किया जाएगा और **प्रमाणपत्र सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ही सीएसएल में वैयक्तिक साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी** ।

घ) उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर, वैयक्तिक साक्षात्कार सीएसएल में अगले दिन या बाद की तारीखों पर आयोजित किया जाएगा।

ङ) **किसी अन्य तरीका में जमा किए गए आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।** एक बार जमा किया गया आवेदन अंतिम होगा ।

च) विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए । कृपया ध्यान दें कि अपूर्ण और अहस्ताक्षरित आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा । किसी भी क्षेत्र में जूठा/ कचरे विवरण भरने से आपके आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है ।

छ) आयु, योग्यता, अनुभव, जाति आदि के प्रमाण केलिए मूल प्रमाणपत्र और इन सभी प्रमाणपत्रों की स्वयं साक्ष्यांकित प्रतियों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और मूल प्रमाणपत्र के आधार पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। **यदि मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल हो जाए तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी**।

ज) **केवल उन्हीं उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी जो प्रमाण पत्र सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा करते है।**

झ) **प्रवेश चयन में भाग लेनेवाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित जमा करना चाहिए :**

1. **आवेदन में हाल ही के पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ अनुबंध I में सूचित आवेदन प्रपत्र ।**
2. **एक फोटो पहचान प्रमाण (मूल रूप में)।**
3. **आधार कार्ड की मूल व स्वयं साक्ष्यांकित प्रति ।**
4. **आयु/ जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति आदि के प्रमाण में मूल प्रमाण और प्रमाणक और प्रमाणपत्रों की स्वयं साक्ष्यांकित प्रतियां।**

ञ) जो आवेदन अधूरे हैं, निर्धारित प्रारूप में नहीं है, पढने योग्य नहीं है, आवश्यक अनुलग्नकों के बिना है, तो बिना कोई कारण बताए उसे तुरंत ही अस्वीकार किया जाएगा और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा ।

VIII. शर्तें:

क. आरक्षण

i) आरक्षण पर भारत सरकार के निदेश लागू होंगे।

ii) बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में, दिव्यांगजता की डिग्री न्यूनतम 40% होनी चाहिए। आवेदक को इसके लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम 2017 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए एक *वैध दिव्यांगजता प्रमाणपत्र* निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना चाहिए।

iii) अ.जा. से जुडे आवेदकों को राजस्व प्राधिकरण जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो, उनके द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में एक *वैध हालिया सामुदायिक प्रमाणपत्र* प्रस्तुत करना चाहिए

ख. योग्यता:

i) पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई /या राज्य/ केंद्र सरकार में उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण से द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।

ii) किसी भी निर्धारित योग्यता के समकक्ष योग्यता रखनेवाले आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समकक्षता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और ऐसे प्रमाणपत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा ।

iii) इस अधिसूचना में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र और स्वयं सत्यापित प्रतियां प्रवेश चयन के समय प्रस्तुत की जानी चाहिए; अन्यथा उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ग. <u>अनुभव:</u>

i) उपरोक्त के अनुसार निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद प्राप्त अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। योग्यता के बाद के अनुभव की अवधि की गणना **दिनांक 10 मार्च 2026** से की जाएगी।

ii) आवेदक जो हाल ही में किसी कंपनी (निजी/सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी) में कार्यरत हैं, वे अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में, कंपनी द्वारा जारी **नियुक्ति/प्रस्ताव पत्र की प्रति, नवीनतम वेतन पर्ची/आखिरी वेतन की प्रति आदि अनुभव के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पिछले रोज़गार के लिए कार्यभार ग्रहण करने के साथ-साथ कार्यमुक्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।**

iii) आवेदक जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें **सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/बुक/ पेंशन भुगतान आदेश** प्रस्तुत करना चाहिए । जिन भूतपूर्व सैनिकों को उनके सेवामुक्ति प्रमाणपत्र में योग्यता का समर्थन किया गया है, उन्हें सशस्त्र बलों में संबंधित शाखा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए । सेवा अवधि के दौरान अर्जित की गई ऐसी योग्यता को भी योग्यता के बाद के अनुभव की गणना केलिए माना जाएगा। योग्यता की समकक्षता का दावा करनेवाले भूतपूर्व सैनिकों को प्राधिकरण के साथ उसी के निर्वहन प्रमाणपत्र में समकक्षता या समर्थन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए (भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का संदर्भ लें), अनुभव के प्रमाण के रूप में सशस्त्र बलों में संबंधित क्षेत्र में योग्यता और कार्य अनुभव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और यह प्रमाणपत्र सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें संबंधित अधिकारियों से अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा ।

iv) आवेदकों को किए कार्यों और कर्तव्यों की प्रकृति, संबंधित कार्यों में संभाले गए दायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए, साथ ही अधिसूचित पद केलिए उनके आवेदन प्रस्तुत करते समय इसके प्रमाण में अनुभव प्रमाणपत्र को प्रस्तुति के समय संलग्न करना चाहिए ।

v) **<u>प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को अपने आवेदन में दावा किए गए अनुभव को साबित करने के लिए सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे; ऐसा न करने पर उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</u>**

ग. सामान्य:

i) **आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।**

ii) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा:- भूतपूर्व सैनिक एक व्यक्ति है।

क) जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में किसी भी रैंक में योद्धा या गैर- योद्धा के रूप में सेवा की है, और

i) जो या तो अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्ति या कार्यमुक्त या ऐसी सेवा से मुक्त किया गया है; या

ii) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; या

iii) स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से जिसे मुक्त किया गया है।

ख) जो इस तरह की सेवा से अनुबंध की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के पश्चात, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी, या कदाचार या अक्षमता के कारण निर्वहन के ज़रिए मुक्त किया गया हो, और एक उपदान दी गई है; और प्रादेशिक सेना के कार्मिक, अर्थात निरंतर सन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के टूटी हुई अवधि के लिए पेंशन धारक इसमें शामिल हैं; या

ग) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना के हिस्सा हैं और सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेवानिवृत्त हुए हैं, या सेना डाक सेवा से चिकित्सा आधार पर जारी किए गए हैं या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से परे और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित; या

घ) कार्मिक, जो अप्रैल 14, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या

ङ) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; या

च) चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किए गए या निकाले गए पूर्व-भर्ती और जिन्हें चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्रदान किया जा रहा हो।

iii) सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता/ अनुभव/ अन्य अधिसूचित योग्यता अपेक्षाओं के समर्थन में किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ी विवरण मांगने का अधिकार है, जैसा कि उनके आवेदन में दर्शाया गया है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना/उत्तर केवल ई-मेल career@cochinshipyard.in के ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीएसएल, निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेलों की किसी देरी/गैर-प्राप्ति केलिए उत्तरदायी नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे प्रश्नों के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस सिलसिले में कोई पत्राचार प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।

iv) लघुसूचीगत उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय या सीएसएल द्वारा किसी अन्य चरण में सत्यापित किया जाएगा। आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगता, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों के सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है। प्रमाणपत्र सत्यापन/शामिल होने के समय यदि उपरोक्त सूचीबद्ध उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी/गलत है या किसी भी उचित जानकारी को छिपाया जा रहा है, तो उम्मीदवार के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।

v) **चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता/ महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा ।**

vi) यह रिक्ति पूर्ण रूप से एक निश्चित अवधि केलिए अनुबंध आधार पर है और सीएसएल चयनित उम्मीदवारों की अनुबंध अवधि के दौरान या उसके पूर्ण होने के बाद नियुक्ति की पेशकश करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

vii) **अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।**

viii) चयनित उम्मीदवार को कार्यस्थल पर स्मार्ट फोन के उपयोग के संबंध में सीएसएल नीति का अनुपालन करने का वचन देना आवश्यक है।

ix) केवल ऑनलाइन के ज़रिए आवेदन जमा करने, चयन प्रक्रिया केलिए बुलावा पत्र जारी करने आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा या पात्रता मानदंड को पूरा करने की पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है या नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं है और आवेदक को सीएसएल में रोज़गार के किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।

x) नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच किया जाना है। ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट की जांच सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी और उम्मीदवार की नियुक्ति सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।

xi) सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार से संबंधित वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन योगदान आदि केलिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।

xii) पद के लिए रैंक सूची का रखरखाव किया जाएगा और रैंक सूची की वैधता अवधि परिणाम के प्रकाशन पर शामिल होने की सलाह देने वाले उम्मीदवारों की सूची से अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी, जब तक कि उसी पद के लिए एक नई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है। रैंक सूची केवल तभी संचालित की जाएगी जब रैंक सूची से शामिल होने केलिए सलाह दी गई

उम्मीदवार के शामिल न होने या रैंक सूची से चयनित उम्मीदवार के बाद में अलग होने के कारण कोई रिक्ति होती है। रैंक सूची का उपयोग सक्षम प्राधिकारी से विशिष्ट अनुमोदन सहित रैंक सूची की वैधता के दौरान उत्पन्न होने वाली भविष्य की रिक्तियों को भरने केलिए भी किया जा सकता है।

xiii) इस अधिसूचना में दर्शाई गई पदों की संख्या मौजूदा आवश्यकता पर आधारित है और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर अलग-अलग होगी, और रैंक सूचियों की वैधता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को सीएसएल के विवेकाधिकार पर उस रैंक सूची से भरा जा सकता है।

xiv) उपरोक्त या किन्हीं अन्य शर्तों के बावजूद, सीएसएल अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और काम की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यक हो तो बिना किसी सूचना के या बिना कोई कारण बताए सीएसएल को भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने / बदलने/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।

xv) उम्मीदवारों को अपनी पानी की बोतल और हल्का नाश्ता लाना होगा।

xvi) आवेदन जमा करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों के बिना शर्त स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।

xvii) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

xviii) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/ या उसके जवाब में एक आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ फॉरम में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/ प्राधिकरणों के पास एकमात्र और अनन्य अधिकार क्षेत्र होगा।

xix) इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।

xx) विज्ञापन और चयन के आयोजन से संबंधित किसी और स्पष्टीकरण केलिए हमें कृपया career@cochinshipyard.in ईमेल या लैंडलाइन नं. 0484 – 250 1221 से संपर्क करें।

"किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।"

"केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते है।"

ह/-

महाप्रबंधक (मानव संसाधन व अध्ययन विकास)